न्यायालयः— पूर्वी तिवारी, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, सनावद, सेशन खण्ड मण्डलेश्वर प.नि. (म0प्र0)

समरी प्रकरण क्रमाँक—678/2022
संस्थित दिनाँक 11.10.2022

मध्यप्रदेश राज्य,
द्वारा आरक्षी केन्द्र बेड़िया,
तह. सनावद, जिला—खरगोन (म.प्र.)

.....अभियोजन।

विरूद्ध

ज्ञानसिंह पिता बालूसिंह राजपूत, उम्र—39 वर्ष,
निवासी—ग्राम बिजगोन, थाना बेड़िया,
तह. सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) .....अभियुक्त।

अभियोजन द्वारा ए0डी0पी0ओ0 उपस्थित।
अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

//नि र्ण य//
(आज दिनाँक—11.10.2022 को घोषित)

1. अभियुक्त ज्ञानसिंह राजपूत के विरूद्ध धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के अंतर्गत दंडनीय अपराध का आरोप इस आशय का है कि वह दिनाँक—19.09.2022 को लगभग 18:30 बजे, थाना बेड़िया अंतर्गत ग्राम—डूडगांव स्थित पिपलगोन रोड खुशबु ढाबे के पास प्लास्टिक की थैली में 30 क्वार्टर देशी प्लेन शराब बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के रखे पाया गया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनाँक 19.09.2022 को आरक्षी केन्द्र बेड़िया में पदस्थ अधिकारीगण को देहात भ्रमण के दौरान मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि डूडगांव स्थित पिपलगोन रोड खुशबु ढाबे के पास में एक व्यक्ति अवैध शराब बेचने के लिये खड़ा है। मुखबिर की सूचना से पंचान साक्षी अनिल एवं कमल को तलब कर सूचना से अवगत कराकर उक्त स्थान के पास पहुंचकर देखा तो एक व्यक्ति एक प्लास्टिक की थैली में 30 क्वाटर देशी प्लेन मदिरा शराब जप्त की। कथित व्यक्ति का नाम पूछने पर उसने अपना नाम ज्ञानसिंह पिता बालूसिंह राजपूत होना बताया। उसके आधिपत्य में रखी थैली को चैक करने पर वह 30 क्वार्टर देशी प्लेन शराब पाई गयी। अभियुक्त से उक्त शराब को बेचने के संबंध में लायसेंस के विषय में पूछने पर उसने स्वयं के पास लायसेंस ना होना व्यक्त किया। अभियुक्त से प्रश्नगत् देशी शराब को जप्त कर जप्ती पंचनामा निर्मित किया और उसे न्यायालय में उपस्थित होने बाबत् सूचनापत्र दिया गया। उक्त मदिरा को जप्त कर अभियुक्त के विरूद्ध म.प्र. आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के

अधीन प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। आवश्यक अन्वेषण पश्चात् अभियोग पत्र इस न्यायालय में दिनाँक–11.10.2022 को प्रस्तुत किया गया।

3. अभियुक्त ने अपने अभिवाक् में स्वेच्छया अपराध करना स्वीकार किया है।

//निष्कर्ष//

4. अभियुक्त ज्ञानसिंह राजपूत की स्वेच्छया एवं स्पष्ट अपराध अभि–स्वीकारोक्ति के आधार पर यह प्रमाणित होता है कि उसने अपने अधिपत्य में देशी शराब बिना वैद्य अनुज्ञप्ति के रखी। अतः अभियुक्त को म0प्र0 आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध के अभियोग में दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों तथा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम के प्रावधानों का लाभ दिया जाना न्यायोचित् नहीं है।

//अंतिम आदेश//

5. अपराध की प्रकृति एवं प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त को न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा अर्थदण्ड से दंडित करना न्यायहित को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त होगा। फलतः **ज्ञानसिंह राजपूत** को आबकारी अधिनियम की धारा 34(1)(क) के अधीन दण्डनीय अपराध में दोषसिद्धि पर **न्यायालय अवधि अवसान तक के कारावास तथा 2,000/–(दो हजार रूपये)** से दंडित किया जाता है।

6. अर्थदण्ड के व्यतिक्रम में अभियुक्त को 15 दिवस (पंद्रह दिवस) का साधारण कारावास पृथक से भुगताया जाए।

7. प्रकरण में जप्तशुदा 30 क्वार्टर देशी प्लेन शराब मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् बहाकर नष्ट की जाए अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार सम्पत्ति का व्ययन किया जाए।

स्थानः–सनावद, प.नि.
दिनाँक–11.10.2022

''निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित कर उद्घोषित।''

''मेरे निर्देश पर टंकित''

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, प.नि.

(पूर्वी तिवारी)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
सनावद, प.नि.

Poorvi Tiwari

Digitally signed by Poorvi Tiwari
Date: 2022.10.12 11:05:38 +0530